

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 7 (108) परि/नियम/मु./२०१०


दिनांक : 19-07-2013

कार्यालय आदेश संख्या 20/2013

विषय : मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन के संबंध में।

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.06.89, 22.04.91, 15.07.94, 06.08.96, 29.05.97, 25.11.97, 05.06.99, 18.08.99, 22.11.2005 एवं 23.1.2012 की निरन्तरता में, निम्न तालिका में उल्लेखित, राज्य में नवगठित जिला परिवहन कार्यालयों के पंजीयन अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य की वाहनों को पंजीयन हेतु आवंटित शब्द समूह गार.जे. के पश्चात् उनके नाम के सम्मुख अंकित पंजीयन कोड आवंटित किये जाते हैं -

| क्रमांक | कार्यालय                                      | पंजीयन अधिकारी                       | पंजीयन कोड |
|---------|---|--------------------------------------|------------|
| 1       | जिला परिवहन कार्यालय भीनमाल,<br>जिला जालौर    | पंजीयन अधिकारी, भीनमाल               | 46         |
| 2       | जिला परिवहन कार्यालय दूदू, जिला<br>जयपुर      | पंजीयन अधिकारी, दूदू                 | 47         |
| 3       | जिला परिवहन कार्यालय केकडी,<br>जिला अजमेर     | पंजीयन अधिकारी, केकडी                | 48         |
| 4       | जिला परिवहन कार्यालय नोहर,<br>जिला हनुमागढ    | पंजीयन अधिकारी, नोहर                 | 49         |
| 5       | जिला परिवहन कार्यालय नौखा,<br>जिला बीकानेर    | पंजीयन अधिकारी, नौखा                 | 50         |
| 6       | जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा,<br>जिला भीलवाडा | पंजीयन अधिकारी, शाहपुरा<br>(भीलवाडा) | 51         |
| 7       | जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा,<br>जिला जयपुर   | पंजीयन अधिकारी, शाहपुरा (जयपुर)      | 52         |

  
परिवहन आयुक्त  
19/7/13